न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्तः–

1. श्यामसुन्दर अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल उम्र 55 जाति अग्रवाल,
   निवासी– जैन कॉलोनी, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर।
   (विक्रेता एवं मालिक)
   फर्मः–मैसस श्याम एन्टरप्राईजेज, मैन बाजार, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर।
2. नन्दलाल चंचलानी पुत्र चेलाराम चंचलानी (फर्म मालिक)
   निवासी– मकान नं. 520 सेक्टर–3 मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान।
   फर्म– मैसर्स चेतना ट्रेडर्स, राजा उदयसिंह की हवेली त्रिपोलिया बाजार जयपुर।

प्रकरण संख्याः–40 / 2020

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 26 (2) (v) तथा 27(3)(d) एवं धारा– 52 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थितिः

1. प्रतिवादी श्यामसुन्दर अग्रवाल उम्र 55 जाति अग्रवाल।
2. प्रतिवादी नन्दलाल चंचलानी ।

–:निर्णय :–

दिनांक :–15 अप्रैल ,2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2019 को समय 01:45 पी.एम. पर फर्म मैसर्स श्याम एन्टरप्राईजेज, मैन बाजार बोरावड़ जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विकेता मालिक के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्यामसुन्दर अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल उम 55 जाति अग्रवाल, निवासी– जैन कॉलोनी, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ घी, तेल, मसाला आचार आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर आम का आचार (pink's Brand) के 500–500 ग्राम वाले 15 जार एक लकड़ी की रैक में आमजन को विक्रय वास्ते रखे हुए थे। जिनमे मिसब्राण्ड, सबस्टैण्र्ड व

सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर [illegible] पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि ये आम का आचार (pink's Brand) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ आम का आचार (pink's Brand) के 500–500 ग्राम वाले 4 जार मूल ही सील्ड पैक में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को उनके बताये अनुसार 240/–रू (अक्षरे दौ सौ चालीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ आम का आचार (pink's Brand) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1195 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्यामसुन्दर अग्रवाल एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

(4) तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 14.10.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 14.10.2019 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

(5) मैसर्स श्याम एन्टरप्राईजेज, बोरावड़ को खाद्य पदार्थ आम का आचार (pink's Brand) को अन्य फर्म से खरीदने का खरीद बिल/कैश मेमों/वेट इन्वायस की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् रजिस्टर्ड पत्रांक 6162 दिनांक 13.12.1019 को प्रेषित किया, जिसकी कार्यालय प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) मैसर्स श्याम एन्टरप्राईजेज बोरावड़ ने उक्त खाद्य पदार्थ को मैसर्स चेतना ट्रैडर्स, जयपुर से खरीदने का बिल नं. 6959 दिनांक 30.08.2019 की प्रमाणित प्रति मय प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चेतना ट्रेडर्स जयपुर को फार्म न. 5ए व फर्म का बिल/वेट इनवाईस की छायाप्रति भिजवाने व फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत रजिस्टर्ड पत्रांक 6223 दिनांक 19.11.2019 को प्रेषित की जिसकी कार्यालय प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के

(8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 596–97 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा सलंग्न खाद्य पदार्थ आम का अचार (pink's Brand) की जांच रिपोर्ट संख्या L.S/164/Act/2019/157 दिनांक 22.10.2019 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता श्यामसुन्दर अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आम का आचार (pink's Brand) का नमूना Q–1195 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप) होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता श्यामसुन्दर अग्रवाल को भी अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 596–597 दिनांक 22.11.2019 को प्रेषित किया। अगेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद तथा जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(9) खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता श्यामसुन्दर अग्रवाल ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

(10) अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक की जॉच रिपोर्ट की छायाप्रति फर्म चेतना ट्रेडर्स जयपुर को भी अधिनियम की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक के विश्लेषण के निष्कर्षो के विरूद्ध अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 638–639 दिनांक 22.11.2019 को प्रेषित किया जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी दी गई जो कि मय रजिस्ट्री की मूल रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(11) मैसर्स चेतना ट्रैडर्स जयपुर से बिना प्रावरण पत्र के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, नन्दलाल चंचलानी के आधार कार्ड की प्रति व फर्म पिंक कैनिंग कम्पनी का बिल जिससे उक्त खाद्य पदार्थ को खरीदना होना बताया, जो कि सभी दस्तावेज मय लिफाफा, न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(12) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चेतना ट्रैडर्स जयपुर से प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें यह पाया गया कि जो खाद्य पदार्थ आम का आचार (pink's Brand) को मैसर्स पिंक कैनिग कम्पनी जयपुर से खरीदने का बिल भिजवाया गया। वह बिल 25.07.2019 का था। जबकि खाद्य पदार्थ की पैकिंग दिनांक 03.08.2019 थी। इसलिए उक्त बिल को अमान्य घोषित किया जाकर सही दस्तावेज भिजवाने हेतु मैसर्स चेतना ट्रैडर्स जयपुर को रजिस्टर्ड पत्रांक 6878 दिनांक 23.12.2019 को प्रेषित किया जिसकी कार्यालय प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(13) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चेतना ट्रैडर्स, जयपुर को बिल नं. 503 दिनांक 25.07.2019 अमान्य होने के कारण सही दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत पुनः स्मरण पत्र प्रथम रजिस्टर्ड पत्रांक 368 दिनांक 20.01.2020 प्रेषित किया जिसकी कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(14) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चेतना ट्रैडर्स, जयपुर को सही दस्तावेज भिजवाने बाबत पुनः स्मरण पत्र द्वितीय रजिस्टर्ड पत्रांक 2186 दिनांक 05.06.20 को प्रेषित किया। जिसकी कार्यालय प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(15) मैसर्स चेतना ट्रैडर्स, जयपुर से स्मरण पत्र द्वितीय का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ जिन्होंने पत्र में बिल नं. 503 दिनांक 25.07.2019 से ही खरीदना होना बताया जा रहा है।

जबकि यह किस प्रकार से संभव है कि, जिस खाद्य पदार्थ की उत्पादन तिथि 03.08.2019 हो,

माध्यम से उक्त बिल का अमान्य घोषित किया जा चुका था। उक्त पत्र की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उनके पत्र के प्रतिउतर में मैसर्स चेतन ट्रेडर्स से सही दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु पुनः अन्तिम पत्र रजिस्टर्ड पत्र 3098 दिनांक 21.07.20 को प्रेषित किया, जिसकी प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 26(2)(v) तथा 27(3)(d) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)) व 26(2)(v) तथा 27(3)(d) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(16) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 16.10.2020 को प्रतिवादी श्यामसुन्दर अग्रवाल ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रकरण की सुनवाई तिथि 23.02.2021 को प्रतिवादी नन्दलाल चंचलानी ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेनट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी श्यामसुन्दर की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 12.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस आम का आचार **(pink's Brand)** का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्डेड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(17) प्रकरण में प्रतिवादियों द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीयों को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादियों द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 26(2)(v) तथा 27(3)(d) का उल्लंघन पाया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादियों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(18) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 01:45 पी.एम. पर फर्म मैसर्स श्याम एन्टरप्राईजेज, मैन बाजरा बोरावड़ जिला नागौर में पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्यामसुन्दर अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल उम्र 55 जाति अग्रवाल, निवासी जैन कॉलोनी, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर, उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते घी, तेल, मसाला, आचार आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(19) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया जहां पर आम का आचार ((pink's Brand) के 500–500 ग्राम वाले 15 जार लकड़ी की रैंक में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके मिसब्राण्डेड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह आम का आचार ((pink's Brand) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ आम का आचार ((pink's Brand) के 4 पैकेट मूल ही सिल्ड पैक में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 240/–(अक्षरे दौ सौ चालीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ आम का आचार ((pink's Brand) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1195 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्यामसुन्दर अग्रवाल एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–मैसर्स श्याम एन्टरप्राईजेज, मैन बाजार बोरावड़ जिला नागौर, विक्रेता मालिक श्यामसुन्दर अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 55, निवासी– जैन कॉलोनी, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर से खाद्य पदार्थ आम का आचार ((pink's Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.10.2019 को एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 14.10.2019 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने दिनांक 14.10.2019 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/164/Act/2019/157 दिनांक 22.10.2019 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The Sample of Aam Ka Achar (Mango Pickle Pink's brand) bearing Code No. and Sr. No. Q-1195 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Misbranded** under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act -2006.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर से खाद्य पदार्थ आम का आचार ((pink's Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता श्यामसुन्दर अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आम का आचार ((pink's Brand) का नमूना Q–1195 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 26(2)(v) तथा 27(3)(d) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 26(2)(v) तथा 27(3)(d) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन गनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में,
स्वंय विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नही करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा 27:– विनिर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व–

(3) विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी होगा, जो–

(d) उस विनिर्माता या वितरक की, जिससे ऐसा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया था, पहचान बताने वाला नही है; या

धारा 52:–

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो, मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 58:–

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

2019 से श्याम एन्टरप्राईजेज बोरावड़ को उक्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/164/Act/2019/157 दिनांक 22.10.2019 तथा चेतन ट्रैडर्स जयपुर को पत्रांक क्रमांकःचिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2019/638–39 दिनांक 22.11.2019 द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या LS/164/Act/2019/157 दिनांक 22.10.2019 को प्रति प्रेषित की गई है किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्डेड (मिथ्याछाप) है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii)) व 26(2)(v) तथा 27(3)(d) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है इस प्रकार, मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म– मैसर्स श्याम एन्टरप्राईजेज, मैन बाजार, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर व मैसर्स चेतना ट्रेडर्स, राजा उदयसिंह की हवेली त्रिपोलिया बाजार जयपुर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 व 58 के तहत प्रतिवादी नन्दलाल चंचलानी पुत्र चेलाराम चंचलानी, निवासी– मकान नं. 520 सेक्टर–3 मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान, फर्मः– मैसर्स चेतना ट्रेडर्स, राजा उदयसिंह की हवेली त्रिपोलिया बाजार जयपुर पर राशि रुपये 35000/– (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा प्रतिवादी श्यामसुन्दर अग्रवाल पुत्र सूरजमल अग्रवाल उम्र 55 जाति अग्रवाल, निवासी– जैन कॉलोनी, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर, फर्म– मैसर्स श्याम एन्टरप्राईजेज, मैन बाजार, बोरावड़ तह. मकराना जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(21) आदेश दिनांक 15.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना